तकनीकी बिड

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

<u>निविदा प्रपत्र</u>

निविदा भुल्क–रू. 500/–

निविदा का नाम	विश्वविद्यालय के खन्दारी परिसर की कैण्टीन का संचालन।
आपूर्तिकर्ता/फर्म का नाम	....
	....
दूरभाष नम्बर	....
पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप	....
पत्र व्यवहार का पता	....
	....
अर्नेस्टमनी	रुपये 6,000/– मात्र (रूपये छः हजार मात्र)
	बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. नं0 ....
	दिनांक .... बैंक का नाम ....
निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड की तिथि	22 जनवरी, 2019 प्रातः 11:00 बजे
निविदा प्रपत्र की हार्डकॉपी स्वीकार की अंतिम तिथि	08 फरवरी, 2019 अपरान्ह 03:00 बजे
निविदा खुलने की तिथि व समय–	11 फरवरी, 2019 अपरान्ह 03:00 बजे
निविदा का विवरण	मैं/हम ....
	फर्म का नाम ....
	प्रोपराइटर/पार्टनर ....
	निविदा के साथ संलग्न लिस्ट पर दी गई दरों पर कार्य करने को सहमत हूँ।
	पता ....
	टेलीफोन/मोबाइल नं0 ....
	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन सं0 .... दिनांक ....
	आयकर पैन नम्बर ....

(हस्ताक्षर निविदादाता)

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

<u>घोषणा–पत्र</u>

निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत मैं श्री .... पार्टनर/प्रोपराइटर निवासी .... फर्म का नाम .... विश्वविद्यालय में **विश्वविद्यालय के खन्दारी परिसर की कैण्टीन** के लिए अपनी निविदा की दरें संलग्न कर रहा हूँ । अर्नेस्टमनी का एफ.डी.आर. संख्या .... दिनांक .... रूपये .... बैंक का नाम .... जो वित्त अधिकारी डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम बन्धक है इस निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ मैंने निविदा सम्बन्धी नियम व शर्तें भली भॉति पढ़ लिया है तथा मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मैं निर्धारित समय के अन्दर ठेके की कार्यवाही नियमानुसार यथा जमानत राशि, इकरारनामा आदि पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरे बयाने की राशि जब्त कर ली जाय। इन नियमों एवं शर्तों का मैं पूर्ण रूपेण परिपालन करूँगा तथा उसके विरुद्ध मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं रहूँगा।

एतद्द्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियम मुझे बिना किसी आपत्ति के स्वेच्छा से स्वीकार हैं। सभी विवादों में कुलपति महोदय डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा किये गये समस्त निर्णय मुझे मान्य होंगे।

गवाह–

हस्ताक्षर एवं पता

....

हस्ताक्षर एवं पता ....

....

दिनांक– ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम ....

....

फर्म से सम्बन्ध ....

पूरा पता ....

मोबाइल नं0 ....

<u>नोट–</u>

1. निविदा की तीन प्रतियॉ मिलेंगी ।

2. दो प्रतियाँ विश्वविद्यालय में (प्रथम पर मूल व द्वितीय पर डुप्लीकेट प्रति अंकित कर) निर्धारित दिनांक एवं समय तक जमा होंगी ।

3. निविदा के साथ रूपये 100/– का नॉन जुडीशियन स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

तकनीकी निविदा

अर्हता प्रपत्र

(इसमें क्वालीफाई करने के बाद ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी)

निविदादाता को निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना निविदा अस्वीकार कर दी जायेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा –

1– निविदा प्रपत्रों पर वांछित हस्ताक्षर होना चाहिए ।

2– नियम व शर्तो को पूर्णरूपेण परिपालन करने हेतु हस्ताक्षर सहित घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।

3– निविदा मूल्य रूपये 500/– का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि रूपये 6,000/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में प्रक्रियानुसार जमा करना अनिवार्य होगा ।

4– फर्म/प्रोपराइटर को स्वहस्ताक्षरित पैन कार्ड की प्रति जमा करना होगा ।

5– फर्म/प्रोपराइटर का स्वहस्ताक्षरित जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जमा करना होगा ।

6– फर्म को वित्तीय वर्ष 2017–18 में कम से कम रूपये तीन लाख के कार्य का टर्नओवर होना आवश्यक है।

7– फर्म/प्रोपराइटर का किसी संस्था के द्वारा कालीसूची न किये जाने का पृथक रूप से घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।

8– फर्म का प्रश्नगत कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव ।

9– निविदा प्रपत्र ई–टेण्डर की साइट https://etender.up.nic.in पर अपलोड करना होगा ।

10– फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक बिल 2006 के मानको के अनुसार कार्य करेंगे।

कुलसचिव

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्ते

1. कैण्टीन में खाद्य सामान स्वीकृत दर सूची के अनुसार चार्ज किया जायेगा व दर सूची उचित स्थान पर लगाना अनिवार्य होगा ।
2. निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायत मिलने और जाँच के उपरान्त सही पाये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा सिक्योरिटी व अर्नेस्टमनी जब्त कर ली जायेगी। फर्म द्वारा विद्युत व जल उपयोग का चार्ज विश्वविद्यालय अभियन्ता से सम्पर्क कर नियमित रूप से मासिक जमा कराना अनिवार्य होगा, चार्ज की जानकारी विश्वविद्यालय अभियन्ता द्वारा प्रदान की जायेगी । ए.सी., हीटर व अधिक भार के विद्युत उपकरण का प्रयोग प्रतिबन्धित होगा । विद्युत उपयोग का मीटर विश्वविद्यालय के अभियन्ता से सम्पर्क कर लगवाया जाना अनिवार्य होगा । कैफेटरिया में फर्नीचर आदि व्यवस्था फर्म की होगी जिसे स्वयं के व्यय पर वहन करना होगा । कैफेटेरिया भवन की किसी भी प्रकार की क्षति (टूट–फूट) होती है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का ही होगा । क्षति की प्रतिपूर्ति फर्म को करनी होगी । विश्वविद्यालय परिसर में ठेकेदार अथवा उसका कोई भी कर्मचारी रात्रि में प्रवास नहीं करेगा ।
3. निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि वित्त अधिकारी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नाम देय होगी। राष्ट्रीकृत बैंक की बैंक एफ.डी.आर. (अन्य किसी रूप में मान्य नहीं होगी) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. कैफेटेरिया संचालन में निर्धारित श्रमिक नियमों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
5. जिस कार्य/आपूर्ति की दरें दी जा रही हैं वे उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिये अगर ठेकेदार/फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो अन्य श्रोतों से निविदा में वर्णित कार्य/आपूर्ति गुणवत्ता के आधार/स्रोतों पर करा लिया जायेगा। कुलपति या उनके प्रतिनिधि का फैसला निविदादाता को मान्य होगा और उस फैसले के विरुद्ध निविदादाता को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।
6. निविदा की स्वीकृति पर कुलपति जी का फैसला अन्तिम होगा। निविदा देने वाले व्यक्ति को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
7. राज्य/केन्द्र सरकार के द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार खाद्य सामग्री की सप्लाई के नियम व शर्ते।
8. बजट की धनराशि को बढ़ाने एवं घटाने इत्यादि हेतु विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति होने के बाद ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को घटित क्षति के लिये उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
10. फर्म/ठेकेदार के नाम से जो ठेका स्वीकृति किया जायेगा वह किसी भी दशा में अन्य फर्म/ठेकेदार को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यदि फर्म/ठेकेदार ऐसा करते है तो उनका ठेका निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी जमानत राशि को जब्त करके विश्वविद्यालय काष में जमा करा दिया जायेगा।
11. निविदा को स्वीकृत दरें तब तक वैध मानी जायेगी जब तक अगली निविदा स्वीकृति नहीं हो जाती, तब तक उन्हीं दरों पर कार्य/आपूर्ति कराया जा सकता है। इस पर निविदादाता फर्म को कोई एतराज नहीं होगा।
12. ठेके की अवधि मात्र एक वर्ष की अवधि के लिये ही स्वीकृत होगा। यदि अगली निविदा तक ठेकेदार एक वर्ष के पश्चात भी कार्य करता रहता है तो ठेके की वार्षिक औसत राशि से कार्य की अवधि के ठेके की धनराशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा कराना होगा। किन्तु दोनों पक्षों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे कम से कम तीन माह की नोटिस देकर अपने को इन शर्तो से अलग कर सकते हैं ।
13. फर्म/ठेकेदार दर पर उद्धृत करने वाली अथवा अन्य फर्म/ठेकेदारों से न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाली फर्म/ठेकेदार के पास यदि कार्य का अनुभव नहीं है, अथवा उसका प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है, अथवा उसके द्वारा प्रस्तावित सामग्री का गुणवत्तायुक्त नहीं है, तो द्वितीय फर्म/ठेकेदार को न्यूनतम वार्तानुसार ठेका देने के लिये विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होगा।
14. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति हो जाने के उपरान्त निविदा संबंधी कार्यवाही जैसे सिक्योरिटी धनराशि, अनुबन्ध आदि की कार्यबाही निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता है तो उसकी निविदा को निरस्त मानते हुए अर्नेस्टमनी की धनराशि को अर्नेस्ट जब्त कर लिया जायेगा। निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा चाहे विलम्ब पोस्ट आफिस/कोरियर की गलती के कारण हुआ हो।
15. तकनीकी व वित्तीय निविदा की हार्ड कॉपी www.dbrau.org.in एवं https://etender.up.nic.in वेबसाइट से डाउनलोड कर एक प्रति पृथक–पृथक लिफाफों में <u>कुलसचिव कार्यालय में जमा करना होगा।</u>

निविदा खोलने की तिथि व समय पर निविदायें विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी । लिफाफे में तकनीकी विड एवं वित्तीय विड की हार्डकॉपी अलग–अलग लिफाफे में रखी जायेंगी ।

–तकनीकी एवं वित्तीय विड अलग–अलग लिफाफों में सील कर दोनो को एक बड़े लिफाफे में रख कर सोल करने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा।

–तकनीकी बिड वाले लिफाफे में तकनीकी निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र जैसे कार्य के अनुभव प्रमाण–पत्र, निविदा मूल्य का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट, अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. तकनीकी विड के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आदि डालने होंगे उस पर ''तकनीकी विड'' अवश्य लिखा जाये।

–जिस लिफाफे में सामग्री की दरें प्रस्तावित होंगी उस पर वित्तीय बिड लिखा जाय। वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रपत्र पर वित्तीय बिड/दर का उल्लेख कदापि न किया जाय अन्यथा उनका निविदा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा । निविदा के दरों आदि में अपरलेखन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा । यदि कटिंग की गयी हो तो वह निविदादाता द्वारा स्वयं प्रमाणित हस्ताक्षरित होनी चाहिए ।

16. स्पेसीफिकेशन एवं गुणवत्ता वांछित स्तर की होनी आवश्यक है। कार्य की गुणवत्तायुक्त सामग्री के लिये ठेका किया जा रहा है। कम गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति किये जाने की स्थिति में उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।
17. कुलपति जी को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को वगैर कोई कारण बताए निरस्त/स्वीकृत कर सकते हैं ऐसी स्थिति में फर्म/ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
18. दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर कुलपति जी ही आरबिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
19. निविदादाता/फर्म को निविदा देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास सम्बन्धित प्रकार का कार्य करने संबंधी उपकरण/मशीनरी आदि एवं यूनिट एक ही स्थान पर हो। उपकरण/मशीनरी आदि एवं यूनिट का निरीक्षण विश्वविद्यालय के इस कार्य के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।
20. समयबद्ध रूप से कार्य संपादित न करने अथवा असंतोषजनक/गुणवत्ता युक्त कार्य/आपूर्ति करने पर विश्वविद्यालय को किसी रूप में पैनल्टी लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. न्यायिक क्षेत्राधिकार आगरा हो होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

पत्र व्यवहार का स्पष्ट पूरा पता

....

मोबाइल नं0 ....

मोहर